244
4.50

वित्तीय स्वीकृति

संख्या– / XVII- 3 / 2017–01(15) / 2017

प्रेषक,

कै0 आलोक शेखर तिवारी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग **देहरादूनः दिनांकः 19 सितम्बर, 2017**

विषय– वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में 'उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक हुनर परिषद्' हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–550 / नि.अ.क. / हुनर परिषद्–1062 / 2017–18, दिनांक 05.08.2017 तथा वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के संख्याः 610 / 3(150) / XXVII(1) / 2017, दिनांक 30.06.2017 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में उक्त योजनान्तर्गत 'राजस्व' पक्ष में प्राविधानित ₹ 25.00लाख (₹ पच्चीस लाख मात्र) के सापेक्ष ₹ 5.31लाख की धनराशि को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्ष 2016–17 में 'उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक हुनर परिषद्' में शासन द्वारा नामित मा. अध्यक्ष / उपाध्यक्ष को नियमानुसार अनुमन्य सुविधाओं के के सापेक्ष ही भुगतान किया जायेगा।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 30.06.2017 में वित्त विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
3. उक्त शासनादेश दिनांक 30.06.2017 के प्रस्तर–12 के प्राविधानानुसार अवचनबद्ध मदों की आवश्यकताओं को बजट प्राविधान की सीमा तक ही सीमित रखते हुए धनराशि का व्यय किया जाएगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मदों हेतु ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुार ही आहरित की जायेगी।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उसी मद के लिए किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृति दी जा रही है।
7. धनराशि का व्यय करते हुए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं इस संबंध में समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन कड़ाई से किया जाय।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक उपयोग करके उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

9. उक्त धनराशि के सापेक्ष समस्त व्यय की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में 'अनुदान संख्या–15' के 'राजस्व पक्ष' "लेखाशीर्षक–2250–अन्य सामाजिक सेवायें–00–800–अन्य व्यय–00–28–उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक हुनर परिषद्" के मानक मद "20–सहायक अनुदान /अंशदान/राज सहायता" के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश शासनादेश संख्या–183/XXVII-I/2012 दिनांक 28.3.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. संख्या: S1709150124, दिनांक ~~अगस्त~~, 19 सितम्बर, 2017 तथा तथा वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 30.06.2017 के द्वारा प्राप्त दिशानिर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न– यथोक्त।

भवदीय,

(कै0 आलोक शेखर तिवारी)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः–1546/ XVII- 3/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, आडिट उत्तराखण्ड, इन्द्रानगर, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादून।
5. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
6. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
9. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(जी.एस. भाकुनी)
उप सचिव।